18

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/टी०–10/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डॉ० मनीषा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि डॉ0 मनीषा की नियुक्ति–सह–पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली में किया गया। डॉ0 मनीषा नियुक्ति से पूर्व आई0जी0आई0एम0एस0, पटना में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर पद पर कार्यरत थे। डॉ0 मनीषा दिनांक–25.02.2026 को पदस्थापित संस्थान में योगदान कर प्रभार ग्रहण किये एवं दिनांक–25.02.2026 को ही प्रभार त्याग कर सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने के लिए आई0जी0आई0एम0एस0, पटना हेतु विरमित हो गये। सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पश्चात डॉ0 मनीषा द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित कर योगदान स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 के कंडिका–15 में निम्न प्रावधान है:–

"**नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माने जाएंगे तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान (11वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगें।**"

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 के कंडिका–15 के नियमानुसार डा० मनीषा को आई0जी0आई0एम0एस0, पटना में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित नहीं किया जाना था, परन्तु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा डा० मनीषा को आई0जी0आई0एम0एस0, पटना में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित कर दिया गया था। समीक्षोपरांत डॉ0 मनीषा द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में डा० मनीषा का आवेदन स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

4. वर्णित स्थिति में डा० मनीषा को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक में वे स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में अविलम्ब योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 के कंडिका–15 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाता है ।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/टी०–10/2026– 9435(2)/स्वा०, पटना, दिनांक 12/10/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव /सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली/डॉ० मनीषा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पातेपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vikash 9/x/26
सरकार के उप सचिव।